

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मांग संख्या 84

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	10565.09	4.52	10569.61	11000.00	5.24	11005.24	10000.00	5.24	10005.24	14000.00	5.24	14005.24	
पूँजी	
जोड़	10565.09	4.52	10569.61	11000.00	5.24	11005.24	10000.00	5.24	10005.24	14000.00	5.24	14005.24	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.52	4.52	...	5.24	5.24	...	5.24	5.24	...	5.24	5.24
ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई													
2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2215	8985.31	...	8985.31	8415.00	...	8415.00	7650.00	...	7650.00	9450.00	...	9450.00
3. जोड़ स्वच्छता अभियान	2215	1579.78	...	1579.78	1485.00	...	1485.00	1350.00	...	1350.00	3150.00	...	3150.00
जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	10565.09	...	10565.09	9900.00	...	9900.00	9000.00	...	9000.00	12600.00	...	12600.00	
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
4.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2552	935.00	...	935.00	850.00	...	850.00	1050.00	...	1050.00
4.02 जोड़ स्वच्छता अभियान	2552	165.00	...	165.00	150.00	...	150.00	350.00	...	350.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	1100.00	...	1100.00	1000.00	...	1000.00	1400.00	...	1400.00
कुल जोड़	10565.09	4.52	10569.61	11000.00	5.24	11005.24	10000.00	5.24	10005.24	14000.00	5.24	14005.24	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1100.00	...	1100.00	1000.00	...	1000.00	1400.00	...	1400.00
2. जलापूर्ति एवं स्वच्छता	22215	10565.09	...	10565.09	9900.00	...	9900.00	9000.00	...	9000.00	12600.00	...	12600.00
जोड़	10565.09	...	10565.09	11000.00	...	11000.00	10000.00	...	10000.00	14000.00	...	14000.00	

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) सरकार की प्रमुख योजना तथा भारत निर्माण योजना का एक घटक है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, परिवारों और व्यक्तियों को

स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (पूर्व में इसे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. कहा जाता था) में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. स्वजल धारा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जलगुणवत्ता मानीटरिंग एवं निगरानी को शामिल किया गया है। इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों सहित सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से कवर किए जाने हेतु पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों के स्थायित्व सम्बन्धी उपाय, विद्यमान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों का परिचालन तथा रखरखाव तथा आई.ई.सी., प्रशिक्षण, जलगुणवत्ता मानीटरिंग एवं निगरानी, एम.आई.एस. एवं कम्प्यूटरीकरण इत्यादि

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. तथा ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं सिक्किम हेतु 1050 करोड़ रुपये सहित कुल 10500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कुल आवंटन का 22 प्रतिशत अर्थात् 2310 करोड़ रुपये एवं कुल आवंटन का 10 प्रतिशत अर्थात् 1050 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना पर किए जाने वाले व्यय के लिए निर्धारित किए गये हैं।

3. **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान:** सरकार ग्रामीण जनता को स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सफल बनाने हेतु सहयोग प्रदान करने को सबसे अधिक प्रमुखता देती है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को देश के 30 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के 607 जिलों में आरम्भ किया गया है। वर्ष 2012-13 हेतु उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 3500 करोड़ रुपये सहित स्वच्छता अभियान हेतु कुल 350 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

4. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाएं/स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिए स्कीम-वार प्रावधान किया गया है।